

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- 20/2019

दायरा दिनांक :- 14-11-2019

अपीलाण्ट:-	बनाम	रेस्पोंडेंट्स:-
1. श्रीमती गंगा सिंघल पत्नि श्री मोहनलाल सिंघल जाति मेघवाल, निवासी बाली, तहसील बाली, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली, तहसील बाली, जिला पाली।

उपस्थिति:-

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध तहसीलदार, बाली द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 410/19 अनवान सरकार बनाम श्रीमती गंगा सिंघल में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019

-:निर्णय:-

दिनांक 17/11/2021

1. अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पुनाड़िया, तहसील बाली के खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तनसुदा भूमि स्थित हैं, जिसकी एकमात्र खातेदार अपीलाण्ट हैं। उक्त भूमि में अरसे दराज से अपीलाण्ट द्वारा सीमेन्ट से निर्मित सामग्री (ईंटे, ब्लॉक, पोल इत्यादि) बनाने की फ़ैक्ट्री के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसका उपयोग करने का पूर्ण हक-हकूक अपीलाण्ट का हैं। अपीलाण्ट की उक्त भूमि के अड़ोस-पड़ोस में चिपते मौजा पुनाड़िया के खसरा नम्बर 112, 123 व 130 की भूमि स्थित हैं जिस भूमि में से अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 में आने-जाने हेतु बतौर रास्ते के उपयोग में ली जाती रही है, क्योंकि अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु उक्त खसरा नम्बर 112, 123 व 130 की भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि रास्ते हेतु मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

2. यह हैं कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 112, 123 व 123 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ अपने स्वयं के खर्चे से बतौर सुरक्षा वॉल के दीवार बनाई गई हैं ताकि अपीलाण्ट द्वारा निर्मित फ़ैक्ट्री से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ पीकर आवारा पशु बीमार न हो तथा किसी प्रकार की चोरी ना हो।

3. यह हैं कि पटवारी हल्का कोट बालियान द्वारा मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड के विपरीत जाकर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में मौके पर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 का सीमांकन किये बिना ग्राम मौजा पुनाड़िया के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.13 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 410/19 दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके का सीमांकन कराये बिना मात्र कयास के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.10.2019 के तहत अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 112, 123 व 130 पर अतिक्रमण मानते हुए वेदखल करने व जुर्माना रूपये 166/- वसूलने का आदेश पारित किया गया, जो कि न्याय के

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

सिद्धान्तों अनुसार आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कानून के खिलाफ पारित किया जाने से निरस्त योग्य हैं।

4. यह हैं कि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर मौजा पुनाड़िया, तहसील बाली अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के पास स्थित खसरा नम्बरान 112, 123 व 130 की भूमियां मौजा पुनाड़िया तहसील बाली की आराजी को बिना फिक्सड पोईन्ट से मुकम्मिल माप सीमांकन अपीलान्ट के रूबरू किये बिना अपीलान्ट के विरुद्ध खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि में खसरा नम्बर 112, 123 व 130 की भूमि मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना रुपये 116/- वसूलने बाबत आदेश अपीलान्ट के विरुद्ध देने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी गम्भीर भूल की हैं। अतः आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त योग्य है।

5. यह हैं कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष जवाब पेश कर यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु जो रास्ते की भूमि आदेश जैर अपील में वर्णित हैं में से नियमानुसार रास्ता दिलवाया जावे जिसकी नियमानुसार देय राशि राजस्व विभाग में अपीलान्ट जमा करवाने हेतु तैयार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उक्त निवेदन को भी अनदेखा किया गया।

अतः अपीलान्ट की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 21.10.2019 को निरस्त फरमाते हुए मौजा ग्राम पुनाड़िया तहसील बाली में स्थित अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 112, 123 व 130 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन रूबरू प्रक्षकारान् के विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली को निर्देशित किया जावे।

6. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जो बाद तमसिल प्राप्त होने पर सामिल मिसल किया गया।

7. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर विद्वान राजकिय अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

8. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम पुनाड़िया, तहसील बाली के खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तनसुदा भूमि स्थित हैं, जिसकी एकमात्र खातेदार अपीलान्ट हैं। उक्त भूमि में अरसे दराज से अपीलान्ट द्वारा सीमेन्ट से निर्मित सामग्री (ईंटे, ब्लॉक, पोल इत्यादि) बनाने की फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं।

9. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की उक्त भूमि के अडौस-पड़ौस में चिपते मौजा पुनाड़िया के खसरा नम्बर 112, 123 व 130 की भूमि स्थित हैं जिस भूमि में से अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 में आने-जाने हेतु बतौर रास्ते के उपयोग में ली जाती रही हैं, क्योंकि अपीलान्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु उक्त खसरा नम्बर 112, 123 व 130 की भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि रास्ते हेतु मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

10. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 112, 123 व 123 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ अपने स्वयं के खर्च से बतौर सुरक्षा वॉल के दीवार बनाई गई हैं ताकि अपीलान्ट द्वारा निर्मित फैक्ट्री से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ पीकर आवारा पशु बीमार न हो तथा किसी प्रकार की चौरी ना हो। लेकिन पटवारी हल्का कोट बालियान द्वारा मौके एवं राजस्व रेकर्ड के विपरीत जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे मौके पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 का सीमांकन किये बिना ग्राम मौजा पुनाड़िया के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.13 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध

अति जिला कलेक्टर (सीफिंग),
पाली (राज)

मुकदमा संख्या 410/19 दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके का सीमांकन कराये बिना मात्र कयास के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.10.19 के तहत अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 112, 123 व 130 पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखल करने व जुर्माना रूपये 166/- वसूलने का आदेश पारित किया गया, जो कि न्याय के सिद्धान्तो अनुसार आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कानून के खिलाफ पारित किया जाने से निरस्त योग्य है।

11. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की ग्राम मौजा पुनाडिया के खसरा नम्बरान 112, 123 व 130 की भूमि उपयोग अपीलाण्ट द्वारा लम्बे समय से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 में आने-जाने हेतु रास्ते के रूप में किया जा रहा है। चूंकि अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने हेतु उक्त भूमि खसरा नम्बरान 112, 123 व 130 के अलावा अन्य कोई भूमि मौके पर रास्ते हेतु उपलब्ध नहीं है। इसलिए रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने का निवेदन किया गया तथा अपीलाण्ट द्वारा नियमानुसार रास्ते हेतु देय राशि भी राजस्व विभाग में जमा करवाने हेतु सहमति जाहिर की गई। उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के उक्त निवेदन को अनदेखा करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया।

12. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अन्त में निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 410/19 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 कानूनन काबिल अपास्त योग्य होने से अपास्त फरमावे तथा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे की मौजा ग्राम पुनाडिया तहसील बाली में स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बरान 112, 123 व 130 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि का अपीलांट के रुबरू सीमांकन करने के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित करे। साक्ष ही अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया की अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 पर आने-जाने हेतु रास्ते हेतु भूमि आवंटन करवाने की कृपा करावे ताकी महीला अपीलाण्ट को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही का सामना ना करना पड़े।

13. प्रकरण में राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम मौजा पुनाडिया के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.13 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर सिवायकच भूमि पर गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर रखा था। जिसे पटवारी हल्का कोट बालियान की रिपोर्ट के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश दिनांक 21.10.2019 पारित किया गया, जो की विधि सम्मत व कानूनन सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


14. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। तथ्य उभर कर इस प्रकार आते हैं कि ग्राम मौजा पुनाडिया के खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसका उपयोग लम्बे समय से अपीलाण्ट द्वारा सिमेन्ट से निर्मित सामग्री (ईंटे, ब्लॉक, पोल इत्यादि) बनाने हेतु किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि 112/1 पर जाने हेतु पडोस के खसरा नम्बर 112, 123 व 130 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि का बतौर रास्ते हेतु उपयोग लिया जा रहा था, क्योंकि अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने हेतु उक्त खसरा नम्बर 112, 123 व 130 की भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि मौके पर रास्ते हेतु उपलब्ध नहीं है।

15. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा अपने प्रकरण संख्या 410/2019 में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा मौके की स्थिति के विपरीत जा कर तथा पक्षकारान के समक्ष मौके का सीमांकन किये बिना ग्राम पुनाडिया के खसरा

अति
जिला क्लर्क (सोल्डिंग)
पाली (राज)

नम्बर 112, 123 व 130 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए एक तरफा निर्णय दिनांक 21.10.2019 पारित किया जाना प्रतित होता है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 410/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 विधिसम्मत नहीं होने के कारण यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार पुर्ण जांच कर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.6400 भूमि तथा आप द्वारा अपने निर्णय में उल्लेखित ग्राम पुनाडिया की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 112, 123 व 130 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि (जिस पर आप द्वारा अपीलाण्ट का कब्जा माना गया) का मौके की स्थिति अनुसार अपीलाण्ट के रूबरू सीमांकन करने के पश्चात अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात नियमानुसार एवं विधिसम्मत पुनः कार्यवाही की जावे, तब तक अपीलाण्ट को मौके से बेदखल नहीं किया जावे। साथ ही तहसीलदार बाली को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 112/1 में आने-जाने के लिए रास्ते हेतु उक्त खसरा नम्बरान 112, 123 व 130 के अलावा कोई भूमि उपलब्ध नहीं हो तो राज्य सरकार की मंशानुसार व नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाये जा रहे प्रशासन गावों के संग अभियान में अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के रास्ते हेतु उक्त खसरा नम्बरान 112, 123 व 130 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि में से भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित भूमि आवंटन सेलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) को भीजवाना सुनिश्चित करे। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जनकल्याण की भावना से प्रशासन गावों के संग अभियान चलाये जा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार की मंशानुसार इस प्रकार के अनुतोष दिये जाने के प्रावधान विद्यमान हैं। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, बाली को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फौसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।



अति जिला कलेक्टर (सीकिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 17/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलेक्टर (सीकिंग)
पाली (राज)